भंवर सिंह भाटी
राज्य मंत्री

सत्यमेव जयते

उच्च शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार)
राजस्व, उपनिवेशन,
कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास
एवं जल उपयोगिता विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर - 302005

क्र.सं. :— जयपुर / 2020 / 176 दिनांक :— 12.04.2020

प्रेस–विज्ञप्ति

भंवर सिंह भाटी, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा ने बताया कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के प्रति हमेशा से ही सजग रही है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के चलते सरकार ने विश्वविद्यालयों मे ंशिक्षण, प्रशिक्षण तथा सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेशो ंतक स्थगित रखने का निर्णय लिया था। विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी या अकादमिक हानि नहीं हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए स्थगित परीक्षाओं एवं आगामी सत्र प्रारंभ करने के संदर्भ में सुझाव देने हेतु प्रो. आर. के. कोठारी, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के संयोजन में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट 11 अप्रैल 2020 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति द्वारा की गई अनुशंषाओं के आधार पर छात्र हित में राज्य सरकार द्वारा निश्चय किया गया है कि —

1. कोविड–19 वैश्विक महामारी के प्रकोप को देखते हुए स्थगित परीक्षाओ ंका शीघ्र आयोजन संभव नहीं है। एक–दो माह तक स्थिति का आंकलन किए जाने की आवश्यकता है। अतः विराम की इस अवधि में दिनांक 16 अप्रेल, 2020 से 31 मई, 2020 तक समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय महाविद्यालयों मे ंग्रीष्मावकाश घोषित किया जाता है तथा विश्वविद्यालयों के संबंध में कमेटी की रिपोर्ट एवं राज्य सरकार की अनुशंषा मा0 कुलाधिपति महोदय को प्रेषित कर दी गई है।
2. परिस्थितियां अनुकूल होने पर स्थगित परीक्षाओं को, कोविड–19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए, स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाओ ंका आयोजन जून, 2020 के प्रथम सप्ताह से एवं स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष व स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध / वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षाओं सहित अन्य परीक्षाएं 15 जून के पश्चात आयोजित की जावेंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं भी मुख्य परीक्षा के साथ या उसके तुरन्त बाद कराई जाएॅगी।
3. इन परीक्षाओं के परिणाम भी प्राथमिकता से यथाशीघ्र घोषित किए जाएंगे, इसके लिए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तत्परता से एवं अविलम्ब संपादित करवाया जायेगा।
4. परिस्थितियां अनुकूल होने पर नवीन अकादमिक सत्र 01 जून, 2020 से आरम्भ किया जायेगा।
5. स्नातक प्रथम वर्ष व अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों, जिनमें प्रवेश हेतु अहर्कारी परीक्षा 12 वीं उत्तीर्ण है, के लिये प्रवेश प्रकिया 15 जून, 2020 या 12 वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के बाद आरम्भ की जाएगी।
6. परीक्षा परिणाम विलम्ब से आने की स्थिति में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की कक्षाओं में विद्यार्थियों को अस्थाई प्रवेश देकर कक्षाएं आरम्भ की जाएंगी।
7. प्रोफेशनल पाठ्यक्रम–एजुकेशन, विधि एवं एम.बी.ए.–की परीक्षाओं का आयोजन एवं उनके आगामी अकादमिक सत्रारंभ के लिए उनकी सम्बद्ध नियामक शीर्षसंस्थाओं–एन.सी.टी.ई., बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, ए.आई.सी.टी.ई. आदि के दिशा निदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।
8. स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षाओ ंका आयोजन किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को विगत परीक्षाओं मे ंप्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

(भंवर सिंह भाटी)